

1 नवंबर से गैस बुकिंग के नियम बदले जाएंगे

एक नवंबर 2020 यानी कल से भारत में पांच बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक ओर जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें गैस सिलिंडर के दाम, सिलिंडर की बुकिंग और होम डिलीवरी, रेलवे और बैंक में पैसा जमा और निकासी से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।

अगर आप इंडेन के ग्राहक हैं, तो खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं करा पाएंगे। दरअसल, इंडेन ने अपने LPG ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग करने के लिए नया नंबर भेजा है। अब इंडेन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलिंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा।

इसके लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जरूरी हो जाएगा। इस सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) का नाम दिया गया है। यानी अब सिर्फ बुकिंग कराने पर आपको सिलिंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा, उस कोड को आपको डिलीवरी ब्वाय को बताना होगा। ऐसा करने पर ही ग्राहकों को रसोई गैस सिलिंडर मिलेगा। इसलिए अगर किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वे एप के जरिए अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं। यह एप डिलीवरी ब्वाय के पास भी उपलब्ध होगा। नंबर अपडेट कराने के बाद कोड जनरेट हो जाएगा।